परिचायक-टिप्पणी

"व्यय की रूपरेखा" में भारत सरकार के सामान्य वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा दर्शाने के लिए सभी विभागों/मंत्रालयों के तत्संबंधी आंकड़ों को संकलित किया गया है। इस वर्ष, भारत सरकार ने बजट-प्रक्रिया के संबंध में दो बड़े निर्णय लिए हैंः प्रथम, व्यय की आयोजना और आयोजना-भिन्न मदों का विलय और दूसरा, रेल बजट का आम बजट के साथ विलय करना। बजट 2017-18 में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सभी बजटीय दस्तावेजों में आयोजना-आयोजना-भिन्न के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। "व्यय की रूपरेखा नामक यह दस्तावेज आयोजना-आयोजना भिन्न के पूर्ववर्ती" व्यय बजट खंड 1" का उत्तरवर्ती है। वर्ष 2017-18 में केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट के विलय को निरूपित करने के लिए इस दस्तावेज में व्यय के अनुमानों में रेलवे मंत्रालय के लेन-देनों का किंचित विस्तृत विश्लेषण शामिल किया गया है।

"व्यय की रूपरेखा" व्याख्यात्मक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज है, जो आर्थिक विश्लेषणों के लिए सहायक है। भारत के 2017-18 के केंद्रीय बजट को "व्यय की रूपरेखा" सहित 16 दस्तावेजों में प्रस्तुत किया गया है (i) 5 दस्तावेज नामतः वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदानों की मांगें, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें हैं, जो सांविधिक दृष्टि से आवश्यक हैं; (ii) 4 दस्तावेज नामतः बृहत-आर्थिक रूपरेखा, राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण और मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण (इस अंतिम विवरण को बजट सत्र के बाद संसद सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा), जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत सांविधिक रूप से आवश्यक हैं और (iii) वित्त विधेयक 2017 में उपबंधों में उल्लिखित ज्ञापन, "व्यय की रूपरेखा", व्यय बजट, प्राप्ति बजट, बजट का सार, बजट की विशेषताएं, जो व्याख्यात्मक दस्तावेज हैं, प्रकाशित किए गए हैं; ताकि प्राथमिक दस्तावेज समझे जा सकें और (iv) परिणाम बजट।

अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें मंत्रालय-वार तैयार की जाती हैं और संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और वे भारत सरकार के व्यय को विनियोजन की आखिरी यूनिट अर्थात वस्तु शीर्ष तक ब्यौरेवार प्रस्तुत करती हैं। व्यय बजट एक दस्तावेज में संक्षिप्त की गई मंत्रालयवार भारी-भरकम ब्यौरेवार अनुदान मांगों का स्पष्ट निरूपण है। "व्यय की रूपरेखा" व्यय बजट और बजट बनाने में संगतता के कुछ अन्य डाटा में प्रस्तुत किए गए डाटा से ली गई रिपोर्टों के रूप में है।

संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत अनुदानों की मांगों द्वारा संसद की स्वीकृति व्यय की "सकल" राशियों के लिए मांगी गई है, जिनमें उन "वसूलियों" को हिसाब में नहीं लिया गया है जिन्हें लेखाओं में व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। अतः इन वसूलियों की राशियों को सम्बन्धित अनुदानों की मांगों में भी अलग से दिखाया गया है। लेखा में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को, इन वसूलियों को घटाने के बाद, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। "व्यय की रूपरेखा" में वसूलियां घटाने के बाद व्यय के आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं।

"व्यय की रूपरेखा" का संघटन आयोजना और आयोजना-भिन्न के आमेलन के प्रासंगिक बजट के आंकड़ों के संग्रहण की संरचना पर व्यापक अवलोकन के परिणामस्वरूप किया गया था। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की श्रेणियां व्यय विभाग द्वारा सुस्पष्ट की गई थी। भारत सरकार के सारे अन्य व्यय को मोटे तौर पर स्थापना, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की यूनिटों/स्वायत्त निकायों, आदि को कवर करते हुए अन्य केंद्रीय व्यय और अतंरणों (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को) में वर्गीकृत किया गया है।

प्रयास किए गए हैं कि न्यूनतम पुनरावृत्ति, सारणियों और सुस्पष्टता के विस्तृत प्रति-निर्देशन, संक्षिप्त पाद टिप्पणियों के साथ सूचना प्रदान की जाए ताकि किसी तत्वदर्शी विश्लेषक और आम पाठक दोनों के लिए सूचना अधिकतम व्यवहार्य हो। "व्यय की रूपरेखा" को पांच भागों में बांटा गया है, नामतः, भाग 1 - सामान्य, भाग II - राज्य, भाग III - विदेशी क्षेत्र, भाग IV - स्थापना और सरकारी उद्यम और भाग V - रेलवे के विवरण। पाद टिप्पणियां केवल वहीं प्रदान की गई हैं जहां प्रविष्टियां स्वतः स्पष्ट नहीं हैं और घटक अथवा स्पष्टीकरण सहज बोध योग्य नहीं हैं और इसलिए प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पाद टिप्पणी नहीं है।